न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

(1) अपील स. 55 / 2016 / 75 एलआर एक्ट

1. हंसराज पुत्र लीलाधर जाति ब्राहम्ण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र भूराराम जाति ब्राहम्ण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रणजीत पुत्र लीलाधर जाति ब्राहम्ण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. दलीप पुत्र लीलाधर जाति ब्राहम्ण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर।

—रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :—

1. श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
3. श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 व 3
4. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

(2) अपील स. 238 / 2016 / 75 एलआर एक्ट

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। —अपीलाण्ट

बनाम

1. जगदीश पुत्र भूराराम जाति ब्राहम्ण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. रणजीत पुत्र लीलाधर जाति ब्राहम्ण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
3. दलीप पुत्र लीलाधर जाति ब्राहम्ण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
4. हंसराज पुत्र लीलाधर जाति ब्राहम्ण निवासी खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

1. श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय कौशिक एवं श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 व 3, 4
3. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

अपील विरूद्ध निर्णय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी रावतसर दिनांक 11.04.2016
प्रकरण संख्या 03/2016 प्रार्थना पत्र जगदीश आदि के संबंध मे

निर्णय दिंनाक : 06.11.2017

1. इस प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 जगदीश ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान उपनिवेशन 1955 के पश्चात के अस्थाई कृषि भूमि पट्टा धारको को एवं अन्य भूमि हीन व्यक्तियो को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र मे राजकीय भूमि आवंटन नियम 1971 के नियम 12(1) के अधीन स्थाई आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर चक 3 जेबीडी के प.न. 14/59 के कि.न. 1 ता 4, 7 ता 14 व 21 ता 24 की 4.960 है0 भूमि आवंटित करवाने का अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 को प्रश्नगत भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए भूमि आवंटित कर दी, जिससे व्यथित होकर उपरोक्त दो अपीले प्रस्तुत की गई है। दोनो अपीलो मे समान पक्षकार होने एवं एक ही आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने एवं समान भूमि होने के कारण उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अपील सं. 55/2016 के अपीलाण्ट जो कि अपील सं. 238/2016 के रेस्पो0 सं. 4 है, के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त अनकमाण्ड भूमि मीडियम पेच के अन्तर्गत रेस्पो0 सं. 1 को आवंटन के पात्र नही होते हुए भी स्थाई आवंटन कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर तहसीलदार से निर्धारित प्रपत्र मे रिपोर्ट मांगी गई जिसके अनुसार रेस्पो0 सं. 1 जगदीश के नाम दर्ज भूमि के अनुसार सीलिंग सीमा से प्रभावित होना अंकित किया गया है, क्योंकि जगदीश के पास कुल 4.479 है0 कमाण्ड व 16.167 है0 अनकमाण्ड जांच मे पाई गई है। इसलिए सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने से रेस्पो0 सं. 1 उक्त भूमि की मिडियम पेच मे आवंटन का पात्र नही था। अपीलांट ने भी दिनांक 12.12.2015 को तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया था कि रेस्पो0 जगदीश के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है। इसलिए उक्त आवंटन को रोक दिया जावें। अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के समक्ष प्रस्तुत किया कि रेस्पो0 जगदीश के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि है इसलिए सीलिंग प्रकरण तैयार

कर कार्यवाही की जावें। यह अपील खारिज होने पर जिला कलक्टर ने राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील का आदेश दिनांक 07.06.17 को जारी किया है।उक्त सीलिंग प्रकरण सं. 1/2016 दर्ज किया गया था उसके सारी कार्यवाही करके दिनांक 07.04.2016 को उपखण्ड अधिकारी रावतसर ने सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नही मानते हुए उक्त प्रकरण को ड्रोप कर दिया जिसके विरूद्ध विधि परीक्षण होकर जिला कलक्टर ने उक्त सिलिंग प्रकरण के निर्णय दिनांक 07.04.2016 को राज्य हित के विरूद्ध होना मानते हुए राज्य पक्ष की ओर से सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत किये जाने के आदेश भी दिये जा चुके है।

4. उपखण्ड अधिकारी ने उक्त सीलिंग कार्यवाही मे उक्त राजीनामा से खाता विभाजन को मान्यता देकर सीलिंग कार्यवाही ड्रोप की है जो अनुचित है। उक्त विवादित भूमि के मीडियम पेज के आवंटन प्रक्रिया की अवहेलना की गई है। उक्त आवंटन की मिसल सं. 3/16 चल रही थी। उकत कार्यवाही मे अपीलांट के अभिभाषक की ओर से वकालतनामा पेश किया, उसका हवाला किसी भी फर्द अहकाम मे नही दिया गया। पत्रावली के 20.01.2016 से फर्द अहकाम की प्रति प्रस्तुत की गई। पत्रावली दिनांक 02.03.2016 की पेशी मे रखी गई। पुनः 28.03.2016 तथा 11.04.2016 एवं 28.04.2016 तथा उसके पश्चात 09.05.2016 पेशी दी गई। हर पेशी पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवाये जाते रहे है। सुभाष के वकील ने 24.04.2016 को वकालतनामा पेश किया। दिनांक 09.05.2016 को अपीलांट पेशी पर उपस्थित हुआ तो रीडर ने बताया कि उक्त विवादित भूमि तो दिनांक 11.04.2016 को ही रेस्पो0 सं. 1 जगदीश को आंवटन कर दी गई है। जबकि अपीलांट को 09.05.2016 की पेशी दी गई थी। उक्त मध्यम पट्टी के आवंटन मे आवंटन नियमो के नियम 5,8,9,10,11 एवं 14 की पालना आज्ञापक है। उसकी पालना नही की तथा आवंटन मे अपीलांट को सुनवाई तथा अपना पक्ष रखने का मौका नही दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

5. अपील सं. 238/2016 के अपीलाण्ट एवं अपील संख्या 55/2016 के रेस्पो0 सं. 4 के राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट तहसील प्राप्त की गई जिसके अनुसार रेस्पो0 सं. 1 जगदीश के पास पूर्व मे ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है इसलिये रेस्पो0 सं0 1 के पास सिलिंग सीमा से प्रभावित होना माना गया परन्तु विचारण न्यायालय ने इस ओर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पो0 सं. 1 ने आवेदन पत्र मे अपने धारण मे चक 3 जेबीडी के प.न. 14/59 के कि.न. 5,6,15,16,25/1 की 1.2400 है0 भूमि होना दर्शित किया था जबकि रिपोर्ट मे रेस्पो0 सं. 1 के पास अधिक

भूमि धारण मे होने संबंधी कथन किये गये है।अपीलाधीन आवंटन आदेश विधि विरूद्ध है क्योंकि रेस्पो0 सं. 1 ना तो प्रश्नगत भूमि की आवंटन की पात्रता रखता था ना ही आवंटन करवाने का अधिकारी है। रेस्पो0 सं. 1 के विरूद्ध सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होने संबंधी प्रकरण भी उपखण्ड अधिकारी रावतसर के यहां जैरकार था जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 07.04.2016 को रेस्पो0 के विरूद्ध सिलिंग कार्यवाही ड्रोप कर दी जिसमे विधि परीक्षण होने के उपरांत जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक प. 16(5)विधि परीक्षण/विधि/16/1889 दिनांक 01.08.2016 से सिलिंग कार्यवाही जो ड्रोप की गई है उसे विधि विरूद्ध पाये जाने पर अपील दायर करने हेतु तहसीलदार राजस्व रावतसर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है ऐसी परिस्थिति मे रेस्पो0 सं. 1 के विरूद्ध सिलिंग संबंधी कार्यवाही अन्तिम रूप से निस्तारित नही हुई है इसलिए अपीलाधीन निर्णय से रेस्पो0 सं. 1 को प्रश्नगत भूमि आवंटित नही हो सकती है। विचारण न्यायालय के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थनापत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

6. दोनो अपीलो के रेस्पो0 सं. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त अनकमाण्ड भूमि मीडियम पेच के अन्तर्गत रेस्पो0 सं. 1 को आवंटन का पात्र मानते हुए स्थाई आवंटन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत होने पर तहसीलदार से निर्धारित प्रपत्र मे रिपोर्ट मांगी गई जिसके अनुसार रेस्पो0 सं. 1 जगदीश के नाम दर्ज भूमि के अनुसार सीलिंग सीमा से प्रभावित होना अंकित किया गया था परन्तु बाद जांच भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा रेस्पो0 सं. 1 के पास सिलिंग सीमा से अधिक रकबा नही मानते हुए सिलिंग कार्यवाही ड्रोप कर दी थी। जिसके आधार सिलिंग बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन करते हुए रेस्पो0 सं. 1 को भूमि आवंटन का पात्र माना गया तथा पूर्ण जांच करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है। अपीलाधीन आवंटन आदेश विधिनुसार सही पारित किया गया है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरडी 2002 पेज188, राजस्थान कोलोनाईजेशन नियम 1975 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः उक्त दोनो अपीले खारिज की जावें।

7. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर

श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 जगदीश द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1955 के पश्चात के अस्थाई कृषि पट्टाधारको को एवं अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को राज0 नहर परियोजना क्षेत्र मे राजकीय भूमि आवंटन नियम 1975 के नियम 12(1) के अधीन राजकीय मिड पेच के स्थाई आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत अन्य पडौसी काश्तकार अपीलांट हंसराज द्वारा भी उक्त आवंटन करने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात तहसील रिपोर्ट मंगवायी गई जिसके अनुसार रेस्पो0 सं. 1 जगदीश के पास पूर्व मे ही सिलिंग सीमा से अधिक भूमि है इसलिये रेस्पो0 सं0 1 के पास सिलिंग सीमा से प्रभावित होना माना गया परन्तु विचारण न्यायालय ने इस ओर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पो0 सं. 1 ने आवेदन पत्र मे अपने धारण मे चक 3 जेबीडी के प.न. 14/59 के कि.न. 5,6,15,16,25/1 की 1.2400 है0 भूमि होना दर्शित किया था जबकि रिपोर्ट मे रेस्पो0 सं. 1 के पास अधिक भूमि धारण मे होने संबंधी कथन किये गये है। रेस्पो0 सं. 1 के विरूद्ध सिलिंग सीमा से अधिक भूमि होने संबंधी प्रकरण भी उपखण्ड अधिकारी रावतसर के यहां जैरकार था जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 07.04.2016 को रेस्पो0 के विरूद्ध सिलिंग कार्यवाही ड्रोप कर दी जिसमे विधि परीक्षण होने के उपरांत जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक प. 16(5)विधि परीक्षण/विधि/16/1889 दिनांक 01.08.2016 से सिलिंग कार्यवाही जो ड्रोप की गई है उसे विधि विरूद्ध पाये जाने पर अपील दायर करने हेतु तहसीलदार राजस्व रावतसर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इस प्रकार सिलिंग कार्यवाही कभी विचाराधीन थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिलिंग कार्यवाही ड्रोप मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

9. हस्तगत प्रकरण मे यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि रेस्पो0 सं. 1 जगदीश द्वारा राज0 उपनिवेशन नियम 1971 के नियम 12(1) के अन्तर्गत किया गया है जबकि 1975 इस नियम के अन्तर्गत कृषि स्नातको को भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। मध्यम दुकड़ो के आवंटन हेतु राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 क के अन्तर्गत प्रावधान है तथा इस नियम के अनुसार आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदक आवेदन करते है तो भूमि का अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए मुहरबंद बोली के द्वारा उच्चतम बोलीदाता को

आवंटन किया जावेगा। हस्तगत प्रकरण मे आवंटन हेतु अपीलांट हंसराज द्वारा भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो आवंटन नियमो के तहत आवंटन किया और ना ही आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदक द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति की ओर गौर किया। आवंटी रेस्पो सं. 1 जगदीश के पास सिलिंग सीमा से अधिक भूमि भी थी जिसके कारण प्रकरण सिलिंग सीमा से प्रभावित था। उपखण्ड अधिकारी रावतसर द्वारा सिलिंग सीमा की कार्यवाही को ड्रोप करने के निर्णय दिनांक 07.04.2016 के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे आज दिनांक तक भी आवंटी धारित भूमि के संबंध मे सीलिंग सीमा का निर्धारण अन्तिम रूप से नही हुआ है। इस प्रकार सिलिंग सीमा के संबंध मे प्रकरण विचाराधीन रहते हुए उक्त आवंटन किसी भी सूरत मे भी किया जा सकता था। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी तर्क किया कि 28.03.2016 के बाद 11.04.2016 एवं 28.04.2016 तथा उसके पश्चात 09.05.2016 पेशी दी गई। हर पेशी पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवाये जाते रहे है। परन्तु उक्त पेशी होने के बावजूद दिनांक 11.04.2016 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की फर्द अहकाम का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 28.03.2016 को अंकित किया है कि पत्रावली पेश हुई, वकील फरिकेन उपस्थित। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही दिनांक 11.04.2016 को पेश हो। उक्त फर्द अहकाम मे दिनांक 11.04.2016 को आगामी कार्यवाही हेतु अंकन किया गया है, ना की बहस/ आदेश आदि का अंकन किया गया है। इस प्रकार प्रकरण मे प्रक्रियात्मक त्रुटि भी प्रकट होती है। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 क के प्रावधानो के अनुसार आवंटन नही किये जाने के कारण तथा प्रकरण सिलिंग सीमा से प्रभावित होने के कारण तथा आवंटन नियमों के विरूद्ध होने से विधिपूर्ण नही होने के कारण एवं पत्रावली मे प्रक्रियात्मक त्रुटि होने के कारण अपीलाधीन आवंटन आदेश की पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे उक्त दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

10. उक्त विवेचन के अनुसार उक्त दोनो अपीले स्वीकार योग्य होने के कारण अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 11.04.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 क के

तहत कार्यवाही की जाकर अपीलांट एवं प्रश्नगत भूमि से चिपते / पड़ौसी काश्तकारो / पक्षकारो को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर सिलिंग सीमा के संबंध मे उचित जांच रिपोर्ट प्राप्त कर आवंटन से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर आवंटन के संबंध मे सन्तुष्टि करते हुए आवंटन नियमों के नियम 14 क के प्रावधानों के अनुसार आवेदको की पात्रता की जांच कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 30.11.2017 को उपस्थित हो। दोनो पत्रावलियों मे निर्णय की प्रति पृथक पृथक रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ